भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1877
दिनांक 11 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

गौशाला

1877. **श्री सतपाल ब्रह्मचारी:**

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान हरियाणा राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा पशुओं के संबंध में बढ़ती समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराई जा रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में गौ-संरक्षण और कल्याण संवर्धन योजनाओं के कार्यान्वयन का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने आवारा पशुओं के प्रबंधन में गौशालाओं और अन्य गौ-संरक्षण पहलों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है; और

(ङ) गौ-संरक्षण और आवारा पशुओं के प्रबंधन के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन में विफलता के क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(प्रो. एस.पी. सिंह बघेल)

(क), (ख), (ग) और (ड़) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246(3) के अनुसार, पशुओं का संरक्षण, सुरक्षा और सुधार तथा पशु रोगों की रोकथाम; पशु चिकित्सा प्रशिक्षण और अभ्यास राज्य का विषय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(क) के अनुसार, स्थानीय निकाय पशु बाड़े और पिंजरापोल के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए, राज्य पंचायतों को आवारा पशुओं को रखने के लिए पशु बाड़े (कांजी हाउस)/गौशाला आश्रय (सामुदायिक संपत्ति) स्थापित करने और चलाने के लिए भी अनुदान दे सकते हैं। कई राज्यों ने आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए आवारा पशुओं के लिए गौशालाएं और आश्रय गृह स्थापित किए हैं और उन पशुओं के आहार की व्यवस्था की है। हरियाणा सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने पशुपालन एवं डेयरी विभाग और हरियाणा गौ सेवा आयोग द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए हैं: -

i) राज्य में गौशालाएँ, जो मुख्य रूप से गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रबंधित और समितियों द्वारा वित्तपोषित हैं, राज्य में आवारा पशुओं को भोजन और आश्रय प्रदान कर रही हैं। इन संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए, पशुपालन और डेयरी विभाग चारा खरीदने के लिए अनुदान के रूप में गौशालाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। पिछले 05 वर्षों के दौरान पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा प्रदान किए गए अनुदान का विवरण इस प्रकार है: -

वर्ष	**चारा अनुदान राशि (रु. में)**
वर्ष 2020-21	₹8,52,14,500
वर्ष 2021-22	₹25,91,91,600
वर्ष 2022-23	₹27,72,78,300
वर्ष 2023-24	₹69,07,23,425
वर्ष 2024-25 (आज की स्थिति तक)	₹152,63,38,605
कुल	**₹ 2,83,87,46,430**

इसके परिणामस्वरूप, पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य में पंजीकृत गौशालाओं की संख्या में 525 से 683 तक की वृद्धि हुई है।

ii) पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने जनवरी, 2024 में आवारा पशुओं के पुनर्वास के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया। अब तक की स्थिति के अनुसार 36,641 आवारा पशुओं को 194 गौशालाओं में पहुंचाया जा चुका है। आवारा पशुओं के पुनर्वास के लिए गौशालाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इन गौशालाओं को चारा अनुदान की बढ़ी हुई राशि प्रदान की गई।

iii) आवारा गोपशुओं के पुनर्वास के लिए गौशालाओं को प्रोत्साहित करने हेतु, राज्य सरकार ने दिनांक 20.07.2021 की अधिसूचना संख्या 2062 (सीएफएमएस)-एएच-4-2021/4633 के माध्यम से प्रत्येक जिले के लिए **विशेष गौ संरक्षण कार्य बल (एससीपीटीएफ)** और एक राज्य स्तरीय **विशेष गौ संरक्षण कार्य बल समिति** का गठन किया।

iv) राज्य सरकार ने नैन गांव (जिला पानीपत) और ढंडूर गांव (जिला हिसार) में 800.00 लाख रुपये की लागत से दो गौ-अभयारण्य स्थापित किए हैं जिनमें से प्रत्येक में 5000 गोपशुओं को रखने की क्षमता हैं। अब तक इन अभयारण्यों में लगभग 5500 आवारा गोपशुओं का पुनर्वास किया जा चुका है ।

(घ) केंद्र सरकार ने गौशालाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन नहीं किया है। हालांकि, आवारा गोपशुओं के प्रबंधन संबंधी अन्य गौ सुरक्षा पहलों पर सरकार द्वारा अपनी योजनाओं के तहत उठाए गए विभिन्न कदमों की प्रभावकारिता के बारे में हरियाणा सरकार द्वारा दी गई सूचना निम्नानुसार है:-

i. गौशालाओं में रखी गई गायों की संख्या दिसंबर 2019 में 3,25,977 से बढ़कर दिसंबर 2024 में 4,05,115 हो गई है।
ii. गायों को आश्रय और संरक्षण प्रदान करने वाली गौशालाओं की संख्या दिसंबर 2019 में 525 से बढ़कर दिसंबर 2025 में 683 हो गई है।
iii. गोपशुओं के संरक्षण, उपचार एवं सुरक्षा के लिए राज्य की गौशालाओं में पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने विभिन्न जिलों में 14 सरकारी पशु चिकित्सालय और 12 सरकारी पशु औषधालय खोले हैं।
iv. आवारा गोपशुओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने पिछले वर्ष आवारा गोपशुओं के पुनर्वास के लिए जोरदार अभियान चलाया था जो अभी भी जारी है। इस अवधि के दौरान 36,641 आवारा गोपशुओं को गौशालाओं में पुनर्वासित किया गया है।
v. राज्य में आवारा गोपशुओं की संख्या में बड़ी कमी आई है।

सरकार ने गौ आश्रय हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की है और जरुरतमंद गौशालाओं आहार और चारे के लिए अनुदान देने हेतु वित्तीय प्रावधान किए हैं।

****